UPBS120001602022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 130/2022

बहादुर बनाम बाबूलाल आदि

14.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 43 ग 2 पर सुना–

प्रतिवादी सं० 5 द्वारा प्रार्थनापत्र 43 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी बीमारी के कारण दिनांक 02.12.2022 को न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका, जिसके कारण प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो गया। प्रार्थी को जानकारी होने पर तुरन्त रिकाल प्रार्थनापत्र दे रहा है। ऐसी दशा में आदेश दिनांकित 02.12.2023 को रिकाल किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 44 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी जानबूझकर मुकदमे में हाजिर नहीं आ रहे थे। मुकदमे में सम्मन, रजिस्ट्री व बाद प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 को सन्तराम के खिलाफ एकपक्षीय योजित किया गया है। प्रार्थनापत्र कालबाधित है तथा मुकदमे को लिंगर करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2022 को प्रतिवादी सं० 5 के वादोत्तर का अवसर समाप्त कर उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश पारित कर दिया गया था। उक्त आदेश को मंसूख कराने हेतु प्रार्थनापत्र 43 ग 2 प्रतिवादी सं० 5 द्वारा दाखिल किया गया है। विधि की सदैव यह मंशा है कि वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां तक वादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 43 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 43 ग 2 मु० 200/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 02.12.2022 अपास्त किया जाता है। संलग्न वादोत्तर शामिल मिसिल हो। पत्रावली वास्ते वादबिन्दु दिनांक 28.03.2023 पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।